न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.75/प्रा.पत्र/2024	20.08.2024	11.11.2025
(GCMS No. 2024/124)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. चांदमल आ. स्व. हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
2. मुकेश आ. स्व. हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
3. प्रकाश आ. स्व. हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
4. हेमराज आ. स्व. हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
5. नन्दकंवरी पुत्री स्व.हीरा जाति भील नि. डाबी तहसील तालेडा
6. भूतिलाल आ. स्व.हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
   (मृतक लाऔलाद फोत– नाम विलोपित)
7. झमकूबाई बेवा स्व.हीरा जाति भील नि. डाबी तहसील तालेडा
   (मृतक कायम मुकामान 1 लगायत 6 –नाम विलोपित) :–
8. सोनिया पुत्री स्व.हीरा जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा
   (मृतक जर्ये कायम मुकामान) :–

8/1 किशन पुत्र माता सोनिया जाति भील नि. डाबी तह. तालेडा

9. गीता पुत्री कालू जाति भील निवासी डाबी तहसील तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

Jila Collector, Bundi

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी कालू पुत्र किशन भील को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 589 रकबा 0.2023 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 75/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/124 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री चन्द्रप्रकाश जैन द्वारा वकालतनामा दिनांक 05.02.25 को पेश किया गया, किन्तु दिनांक 09.06.25 को पैरवी की हिदायत नहीं होने बाबत सूचित किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना स्वयं उपस्थित नहीं आने एवं उनकी ओर किसी अधिवक्ता के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि ख.सं. 589 पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि में कुछ हिस्से पर मकान बने हुये है तथा कुछ हिस्से पर बाड़े वगैराह बने हुये है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि कालू आ. श्रीकिशन जाति भील निवासी डाबी को दिनांक 25.10.1975 को भूमि खसरा संख्या 630/1385 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, 592 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा, 589 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा एवं 669/1397 रकबा 7 बीघा किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 589 रकबा 0.2023 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना

जिला कलक्टर, बून्दी
03.11.25
11.11.25

पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी दिनांक 30.07.2024 के अनुसार उक्त भूमि खसरा सं. 589 पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर उक्त भूमि में कुछ हिस्से पर मकान बने हुये है तथा कुछ हिस्से पर बाड़े वगैराह बने हुये है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जाना प्रकट है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि में से ख.सं. 589 पर कब्जा काश्त नहीं होने, उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर कुछ हिस्से पर मकान बने होने तथा कुछ हिस्से पर बाड़े वगैराह बने होने के कारण आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त भूमि ख.सं. 589 का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कालू आ. श्रीकिशन जाति भील निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 589 रकबा 0.2023 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी दिनांक 25.10.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी